25.1.202.	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में मजीद बहस सुनी गई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के हस्ब शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली में दाखिल रहे।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन:– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 30 / 2012

आर.सी.एम.एस. 2012 / 000801

तारीख रजू 19.03.2012

1. ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मंदिर कल्याण राय जी राजमहलो के सामने चौबेपाडा करौली तहसील करौली जिला करौली जरिये अहतमाम पुजारी नैक्सट फ्रैण्ड सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 लक्ष्मीकान्त शर्मा जाति बाहम्ण निवासी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली तहसील करौली जिला करौली।

–वादी

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र मनफूल जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
2. छोटी वेवा पत्नि गोविन्द जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
3. मदन पुत्र गोविन्द जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
4. पप्पू पुत्र गोविन्द जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
5. विनोद पुत्र गोविन्द जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला।
6. विमला पुत्र गोविन्द जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला।
7. बच्चू पुत्र मनफूल जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला।
8. रामखिलाडी पुत्र मनफूल जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला।
9. किरन वेवा पत्नि रामखिलाडी जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला।
10. मुकेश पुत्र रामखिलाडी जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
11. मुकेश पुत्र रामखिलाडी जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12. दौलत पुत्र रामखिलाडी जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
13. गुडड़ी पुत्री रामखिलाडी जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
14. हरप्रसाद पुत्र मनफूल जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
15. गयोजी पुत्र मनफूल जाति माली निवासी वैरकापुरा मण्डरायल रोड तहसील करौली जिला करौली।
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णय:

दिनांक: 25.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 8264,8265 किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 15 विस्वा कस्वा करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2015 पेश की है । उक्त आराजीयात को सायल मंदिर द्वारा गैरसायलान व धुन्धी पुत्र विहारी तेली को विधि की किसी भी रिति से हस्तान्तरण नही किया है ना पंजीयन कराया है। सायल मंदिर का पुजारी व व्यवस्थापक है। सायल मंदिर नावालिग है। जिसकी भूमि पिता न्यायालय के इजायत के बिना हस्तान्तरण नही हो सकती है। गैर सायलान के हक में हुऐ खातेदारी अधिकार सायल मंदिर पर प्रभावहीन व शून्य है बाध्यकारी नही है। गैर सायलान अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज के कारण वदनीयति से भूमि के मोटी रकम लेकर विक्रय करने पर उतारू हो रहे है और भूमाफियों से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैठों के वल पर विक्रय कर कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित कराकर आवासीय उपयोग में लेने पर भूमि को नष्ट करने पर उतारू है। गैर सायलान की इस अनाधिकार कार्यवाही से सायल के हक हंकुकों पर आधात है सायल को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा सायल गैर सायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाब प्रतिवादी प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात कभी भी ठाकुरजी कल्याण राय जी खातेदारी व कब्जे काश्त की नही रही है सम्वत 2015 की जमाबन्दी के अनुसार भी भूमि फसल [illegible] कब्जे में नही रही है। भूमि ठाकुरजी कल्याण राय की खुदकाश्त की [illegible] भूमि में रामहेत तेली पितामह धुन्धी की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और विहारी, रामहेत से पूर्व फौत हो गया और रामहेत के स्वर्गवासी होने के [illegible] के हक में खातेदारी सही विधिवत तौर पर रही है। धुन्धी के मरने के वाद उसके पुत्र तुलसी व धुन्धी व आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:24 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

वारिसान चन्द्रोदेवी बेवा करण व नन्दकिशोर, जगदीश वगै0 से दि. 20.11.1987 के दिवस गैरसायलान द्वारा उचित प्रतिफल अदाकर रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। और गैरसायलान भूमि पर बतौर खातेदार काश्त कर काविज चले आ रहे है। गैरसायलान भूमि के वोनाफाईड पर्स्पेजए हैं। विद आउट नोटिस है सायल सतीश मंदिर का एतमाम नही है। नेस्टफ्रेन्ड नही है इसके द्वारा ठा. जी कल्याण राव की भूमि ख.न. 8250,8251,8255,8256 पर मोतीलाल जाटव को कब्जा कराकर दीगर व्यक्तियों को भूमि बेचान कराये है और उसमें उक्त सतीश धन लेकर भवन निर्माण कराने में पूर्ण सहयोग कर रहा है और उस भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही कर रहा है इससे स्पष्ट है कि वह मंदिर का पुजारी एतमाम व नेस्टफ्रेण्ड नही है। सायल के किसी हकहकूक पर आघात नही है सायल मंदिर को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है सायल रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा न. 8264,8265 कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 15 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का न.10 तहसील करौली को रहनवय नही करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया जाता है।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner